2018/00159

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :120/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

ग्राम पंचायत तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री कुन्ज बिहारी (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 30.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 278 हाल खसरा नम्बर 431, 432 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 223 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आंवटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिप. क्र. प010(3) राज0/ग/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार के दर्ज तलाई वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 223 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री कुंजबिहारी एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण का कथन है किया कि ग्राम पंचायत तलाव मे उक्त आराजी गत खसरा नं0 278 हाल खसरा नं0 431,432 ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खातेदारी मे दर्ज है । उक्त आराजी जनहित के उपयोग मे आ रही है और उक्त आराजी का उपयोग ग्रामवासी करते आ रहे है वर्तमान मे उक्त आराजी तलाई परियोजन हेतु काम मे नही आ सकती है । उक्त आराजी समतल है,

पानी भराव का कोई साधन नही है । उक्त आराजी को सरकार द्वारा ग्राम पंचायत तलाव के नाम जनहित प्रयोजनार्थ खाते दर्ज किया गया था, उक्त आराजी उस समय तलाई के उपयोगी नही थी ,उसी समय से उक्त आराजी ग्रामवासियों के उपयोग व उपभोग मे आ रही है, इसी वजह से सरकार द्वारा जनहित की भावना को देखते हुये उक्त आराजी कोई भी व्यक्ति विशेष के नाम खाते दर्ज नही है । उक्त आराजी के संबंध मे तहसीलदार द्वारा पूर्व मे भी माननीय जिला कलक्टर कोटा के यहां रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत तलाव के विरूद्व पेश किया गया था । उक्त प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत की खातेदारी निरस्त किये जाने की प्रार्थना चाही गयी थी । उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा दर्ज कर प्रकरण सं0 24/2012 पर निर्णय पारित कर दिनांक 29.12.14 को मूल प्रार्थना पत्र सहित रेफरेन्स वापिस तहसीलदार पीपल्दा को लोटा दिया था । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पूर्व मे पेश किये गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा वापिस लौटाने के वाद यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दुबारा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पेश किया गया है । जो विधि एवं न्याय संगत नही है । ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 278 हाल खसरा नम्बर 431,432 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 223 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2029 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 223 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा